International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 4; July 2018; Page No. 130-133

शिक्षित ग्रामीण युवक : ग्रामीण पुनर्निर्माण एजेन्सियो के प्रति विचार

डॉ0 रामनिवास [1], डॉ0 पी0 के0 शर्मा [2]

[1] असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, मुकदम विहारीलाल महाविद्यालय, महुअन, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत।

[2] अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, पी0सी0 बागला कॉलेज, हाथरस, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

शिक्षित ग्रामीण युवकों में ग्रामीण पुनर्निर्माण चेतना के मूल्यांकन हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न गाँवों के अन्तर्गत कार्यरत पुनर्निर्माण एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों के प्रति उनके विचारों को ज्ञात किया जाए। भारतीय गाँव में पुनर्निर्माण अभिकरणों तथा उनके द्वारा सम्पादित कार्यो, में जनसहभागिता के सम्बन्ध में शिक्षित युवकों के विचारों को ज्ञात किया गया है। जिसका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है

ग्रामीण पुनर्निर्माण के अभिकरण

ग्रामीण पुनर्निर्माण के अभिकरणें पर विचार करने से पूर्व ग्रामीण पुनर्निर्माण की अवधारणा को स्पष्ट करना आवश्यक है। ग्रामीण पुनर्निर्माण से आशय उन माध्यमों से है जो गाँव के सन्तुलित विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करने में सक्षम तथा निर्धारित पुनर्निर्माण नीति के अनुरूप विकास कार्यक्रमों को लागू करने, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने आदि ने सक्षम है। ग्रामीण पुनर्निर्माण के अभिकरण का आशय समस्याग्रस्त भारतीय गाँवों में विद्यमान असन्तुलन के निवारण के लिए उपयुक्त नीति का निर्माण कर तथा नीति के अनुरूप योजनाओं का निर्माण, वांछित लक्षणों की प्राप्ति का पथ प्रशस्त करते हैं ताकि ग्रामीण समुदांय पुनर्गठित हो सके। ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सरकारी एजेन्सियों के साथ–साथ गैर–सरकारी स्तर पर स्थानीय अभिकरण भी सक्रिय रहे हैं।

सरकारी स्तर पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रारम्भ की गयी योजनाओं को सामुदायिक विकास, पंचायतरीराज व्यवस्था, सहकारिता, शिक्षा आदि के माध्यम से कियान्वित करने का प्रयास किया गया है। गैर–सरकारी स्तर पर प्रारम्भ किये गये पुनर्निर्माण अभिकरणों में– सर्वोदय, भूदान, ग्रामदान, वन संरक्षण आदि हैं। जिन्हें बाद में सरकारी संरक्षण भी प्राप्त हुआ अन्य स्वैच्छिक एजेन्सियों में परोपकारी समूह, सुधारवादी संगठन आदि भी सक्रिय रहे हैं। जिनका उल्लेख ए0आर0 देसाई ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के पथ प्रदर्शक के रूप में किया है।[1] ये सभी अभिकरण ग्रामीण समुदाय के भौतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सुधार हेतु प्रयत्न करते हैं। विचारक भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि– ''स्वतन्त्रता के पश्चात् गाँव को व्यवस्थित एवं उनकी समस्याओं का निवारण करने हेतु देश में सरकारी एवं गैर–सरकारी स्तर पर प्रयास हुए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु अनेक कार्यक्रम यथा– सामुदायिक विकास, सहकारिता, पंचायतीराज आदि शुरू हुए हैं।[2]'' ग्रामीण पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाले पुनर्निमार्ण अभिकरणों– जो सम्पूर्ण ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों व नीतियों के निर्देशन व संचालन हेतु उत्तरदायी रहे हैं वे इस प्रकार हैं–

(अ) सामुदायिक विकास कार्यक्रम
(ब) पंचायतीराज व्यवस्था
(स) शिक्षा
(द) सहकारिता

(अ) सामुदायिक विकास कार्यक्रम

ग्रामीण समुदाय में विद्यमान समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण समाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाने हेतु ग्रामीण विकास की योजनाओं का नाम सामुदायिक विकास योजना है। जिसे महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1952 में 55 विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया जो सम्पूर्ण भारत के विकास खण्डों में गतिशील है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने सामुदायिक विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों को खोजकर ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। ए0आर0 देसाई के शब्दों में– ''सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएँ ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रयास करती है।[3]

सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि तथा उससे सम्बन्धित विषय, सन्देश वाहन के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, समाज कल्याण, पूरक रोजगार और आवास आदि से सम्बन्धित कार्य शामिल हैं।[4]

डॉ0 श्यामाचरण दुबे सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित करते हैं।[5]

1. कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के प्रयास, संसार सुविधाओं में वृद्धि, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई की स्थिति में सुधार तथा ग्रामीण शिक्षा का प्रसार करना।
2. ग्रामीण सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने हेतु व्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करना।

इन सबका लक्ष्य सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन लाकर ग्राम समुदाय के लिए जीवन स्तर में सुधार की व्यवस्था करना है। डॉ0 सच्चिदानन्द के अनुसार– ''सामुदायिक विकास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण समुदाय के लिए उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना है।[6]''

सामुदायिक विकास योजना कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है तथा इसके कार्यक्रमों के कियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों का है। जिला स्तर पर यह दायित्व जिला परिषदों का है। खण्ड स्तर पर 600 वर्ग किमी0 क्षेत्र व 110 ग्रामों के लिए एक विकास खण्ड है। प्रत्येक विकास खण्ड में एक विकास अधिकारी के अलावा कृषि, पशुपालन, सामाजिक शिक्षा, ग्रामोद्योग, पंचायत

सहकारिता, महिला व बाल कल्याण आदि से सम्बन्धित आठ प्रसाद अधिकारी होते हैं ग्रामस्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन व क्रियान्वयन किया जाता है। इस स्तर पर 10 ग्रामों के ऊपर एक ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) होता है। प्रशिक्षित दायी, ग्राम सेविकाएँ भी गाँव में नियुक्त करती है।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी शिक्षित ग्रामीण युवकों को है या नहीं? यह जानने का प्रयास किया गया। पूछे गये प्रश्न का उत्तर निम्न सारणी के दृष्टव्य है–

ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु विकास योजनाओं का बोध

विकास योजनाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत
बीस सूत्रीय कार्यक्रम	144	48
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	126	42
अन्तयोदय कार्यक्रम	102	34
काम के बदले अनाज योजना	135	45
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	171	57
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	186	62

ज्ञातव्य है कि अधिकांश शिक्षित ग्रामीण युवकों को बीस सूत्रीय कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास काग्रक्रम, अन्तयोदय कार्यक्रम, काम के बदले अनाज योजना आदि की जानकारी नहीं है उनका प्रतिशत 50 से भी कम है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजकार योजना सन् 1999 तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन् 2000 की जानकारी शिक्षित ग्रामीण युवकों को है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण पुनर्निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के प्रति शिक्षित ग्रामीण का संज्ञान उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता है।

(ब) पंचायतराज व्यवस्था

भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् समस्याग्रस्त गाँव के पुनर्निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के प्रयास किये गये। भारतीय संविधान के चार भाग अनुच्छेद 40 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य पंचायतों का पुनर्गठन उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार ग्रामीण पुनर्निर्माण का स्थानीय स्तर पर प्रयास करने, सत्ता एवं शक्ति का लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण कर गाँव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए ग्राम पंचायतो की स्थापना प्रारम्भ की गयी। बलवन्त राय मेहता के सुझावों पर 1959 में त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था जिला स्तर पर जिला परिषद, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ग्राम स्तर पर आज पंचायतराज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, न्याय का गठन किया गया।

ग्राम पंचायत ग्रामसभा की कार्यकारिणी इकाई है।[7] जिस पर विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व है।[8] संविधान (273वाँ) संशोधन 1992 के अन्तर्गत पंचायतराज व्यवस्था को काफी अधिकार प्रदान किये गये है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण कर पंचायतराज व्यवस्था को गतिशील बनाये रखने हेतु सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करने का प्रावधान इस अधिनियम में है। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर जिला पंचायत, खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम स्तर पर पंचायत (ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत) अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गयी है। ग्रामसभा द्वारा निर्मित योजनाओं एवं सरकारी योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा होती है। वह गाँव के सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम पंचायत प्रयास करती है। कृषि भूमि सुधार, सिंचाई, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, शिक्षा, विकास, साँस्कृतिक कियाकलाप स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, महिला शिशु कल्याण सामुदायिक सम्पत्तियों की देखभाल आदि ग्राम पंचायत के अनेक कार्य हैं।

ग्राम पंचायत सांस्कृतिक पुनर्निमाण हेतु या प्रतिचयित शिक्षित ग्रामीण युवकों के गाँव में कार्य करती है। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण हेतु किन– किन कार्यों की दिशा में ग्राम पंचायत ने पहल की है? प्राप्त उत्तर निम्न सारणी में प्रदर्शित हैं–

ग्राम पंचायतः सांस्कृतिक पुनर्निर्माण में पहल

तथ्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1 मेले एवं प्रदर्शनी	78	26
2 उत्सव एवं पर्व	99	33
3 कथा–भागवत्	18	06
4 स्वाँग– रसिया आदि	108	36
5 विचार गोष्ठियाँ	06	02
6 शिक्षण–प्रशिक्षण शिविर	33	11

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत सांस्कृतिक पुनर्निर्माण हेतु विशेष सक्रिय नहीं हुयी है। मेले एवं प्रदर्शनी, उत्सव एवं पर्व, स्वाँग, रसिया आदि की दिशा में आंशिक पहल ही हुयी है। विचार गोष्ठियाँ 2 प्रतिशत इस ओर संकेत करती हैं कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों के प्रति जागरुकता पैदा करने का प्रयास पंचायत स्तर पर नहीं हुआ है।

विकास की जनतान्त्रिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास कार्यों हेतु ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करे। जिससे विकास लक्ष्यों को सफलता के साथ प्राप्त किया जा सके। प्रतिचयित शिक्षित ग्रामीण युवको से यह पूछा गया कि क्या ग्राम प्रधान विकास कार्यों में जनता का सहयोग लेते हैं? ज्ञात तत्य निम्न सारणी में दृष्टव्य हैं–

विकास कार्यों में जनता का सहयोग

तथ्य	आवृत्ति	प्रतिशत
(1) विकास कार्यों में जनता का सहयोग लेते हैं	93	31
(2) विकास कार्यों में जनता का सहयोग नहीं लेते हैं	207	69
योग	300	100

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिकतर ग्राम प्रधान विकास कार्यों में जनता का सहयोग लेने का प्रयास नहीं करते। केवल 31 प्रतिशत ग्राम प्रधान ही जनता का विकास कार्यों में सहयोग लेते हैं जो अपर्याप्त ही है।

(स) शिक्षा

शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण अभिकरण है। गाँव के पिछड़ेपन एवं प्रगति की प्रमुख बाधा अशिक्षा ही रही है। ग्रामीण पुनर्निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि के विकास हेतु शिक्षा की तीव्र आवश्यकता महसूस की जाती रही है। यही कारण है कि स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के प्रसार को महत्व प्रदान किया गया है।

विगत वर्षों में साक्षरता के प्रसाद हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा हेतु व्यापक प्रयास हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने के लिए संसद ने 86वां संविधान संशोधन 2002 पारित किया।[9] सबको प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य

प्राप्त करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रणनीति निर्धारित की गयी है। वर्ष 2000–01 में पूरे देश में एक सर्वव्यापक कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया इस कार्यक्रम में लड़कियों, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु मध्याह्न भोजन योजना, पाठ्य–पुस्ताकों का निःशुल्क वितरण, स्कूली छात्रों को ड्रेस आदि की सूविधा प्रदान कर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रौढ़ साक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए स्थानीय समुदायों को सामाजिक रूप से सक्रिय करने के प्रयास किये गये हैं। जिला परिषद, जिला पंचायत एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग से गाँव में शिक्षा प्रसाद के प्रयास निरन्तर जारी हैं। जिसके फलस्वरूप शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है तथा साक्षर व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

शिक्षित ग्रामीण युवकों से यह ज्ञात किया गया कि क्या उनके गाँव में शिक्षण संस्थाएँ हैं? ज्ञात तथ्य निम्न सारणी में दृष्टव्य हैं–

गाँव में शिक्षण संस्थाएँ

तथ्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1 प्राथमिक विद्यालय	243	81
2 पूर्व प्राथमिक विद्यालय	123	44
3 माध्यमिक विद्यालय	57	19
4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	51	17
5 डिग्री कॉलेज	12	04
6 कन्या पाठशाला	66	22

ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ है और प्रायः सभी ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की शिक्षा हेतु भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं। कन्या पाठशालाएँ भी खुली हैं यद्यपि उनकी संख्या कम है परन्तु प्राथमिक विद्यालयों में लड़के व लड़कियों के लिए शिक्षा के समान अवसर सुलभ है। सर्वशिक्षा अभियान वर्ष 2001 से प्रारम्भ हुआ है। जिसके अन्तर्गत सभी स्कूलों तथा शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्रयों के पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वे शिक्षित ग्रामीण युवक जो इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं कि शिक्षा प्रसार से ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। वे दृष्टिकोण में परिवर्तन को इस प्रकार लक्षित करते हैं–

ग्रामीणें के दृष्टिकोण में परिवर्तन का स्वरूप

तथ्य	आवृत्ति	प्रतिशत
(क) जीवन स्तर में सुधार	189	87.5
(ख) स्वावलम्बन एवं अधिकारों के प्रति जारूकता	144	66.6
(ग) सामाजिक कुरीतियों के प्रति एवं अन्धविश्वासों के प्रति आस्था में कमी	198	91.6
(घ) शोषण के प्रति जागरूकता	156	72.2
(ड) समतावादी मूल्यों के प्रति चेतना	126	58.2

तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्रसार से ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। जीवन स्तर में सुधार, अधिकारों के प्रति जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों के प्रति आस्था में कमी, शोषण के प्रति जागरूकता के रूप में ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। समतावादी मूल्यों के प्रति चेतना का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। जो इस ओर संकेत करता है कि गाँव में अभी भी सामाजिक, आर्थिक आधार पर विषमता ळै। फिर भी समतावादी मूल्यों के प्रति जाग्रत होती चेतना ग्रामीणों पर शिक्षा के प्रभाव को अंकित करती है।

(द) सहकारिता

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सहकारिता को नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति का हिस्सा माना गया।[11] इस परिप्रेक्ष्य में सहकारिता ग्रामीण पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में उभरा है। सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें ग्रामीण व्यक्ति अपने आर्थिक हितों में स्वावलम्बन हेतु संगठित हो कार्य करते हैं। आपसी प्रबन्ध के द्वारा सहाकरी समिति का संचालन सामान्य लाभ प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस प्रकार सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जिसके सदस्य सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ निश्चित नियमों के अन्तर्गत मिल–जुलकर कार्य करते हैं। सहकारिता की प्रेरण तथा मार्गदर्शन सरकार द्वारा किया जाता है जबकि इसका कार्यान्वयन सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह एक ऐच्छिक संगठन है। जिसकी कार्यप्रणाली प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित होती है। ऋण प्राप्त करने, सहकारी साख समितियाँ, कृषि के विकास, सिंचाई, चकबन्दी, विक्रय आदि हेतु सहकारी कृषि समितियाँ, आवासीय ऋण प्रदान करने हेतु सहकारी आवास समितियाँ, उचित मूल्य पर उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियाँ आदि अनेक प्रकार की सहकारिता का प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है। केन्द्र सरकार ने बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम 2002 पारित करके सहकारी संगठनों के अपेक्षित स्वायत्ता प्रदान की है।[12]

शिाक्षित ग्रामण युवकों के परिवार से क्या कोई सहकारी समिति का सदस्य है? ज्ञात तथ्य निम्न सारणी में प्रदर्शित हैं–

सहकारी समिति की सदस्यता

सदस्य	आवृत्ति	प्रतिशत
(1) सहकारी समिति के सदस्य हैं	183	61
(2) सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं	117	39
योग	300	100

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षित ग्रामीण युवकों के परिवार में जो सहकारी समिति के सदस्य हैं उन्हें कृषि विकास हेतु सुविधाएँ सरलता से प्राप्त हो जाती हैं।

निष्कर्ष

- शिक्षित ग्रामीण युवकों की दृष्टि में विकास योजनाएँ स्थानीय गाँव की समस्याओं के अनुरूप नहीं है। इस कारण ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं के उचित लाभ गाँव को प्राप्त नहीं हो पा रहे।
- शिक्षित ग्रामीण युवकों की दृष्टि में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं के उचित लाभ गाँव को न मिलने के कारण ग्रामीणों की अशिक्षा, प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, अकुशल नेतृत्व, साधनों एवंज न सहयोग का अभाव लक्षित होता है।
- समाजिक कुरीतियों, रूढिवादिता एवं अन्धविश्वासों के प्रति शिक्षित ग्रामीण युवकों में वैचारिक परिवर्तन है, शिक्षा इसके मूल में है।
- ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु प्रमुख विकास योजनाओं की जानकारी शिक्षित ग्रामीण युवकों को है साथ ही आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में हो रहे कार्यों से परिचय भी।

- शिक्षित ग्रामीण युवकों की दृष्टि में आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में इन योजनाओं के माध्यम से पहल हुई है परन्तु इसका अधिकांश लाभ ग्रामीण अभिजात वर्ग को प्राप्त हुआ है।

सन्दर्भ सूचि

1. ए0आर0 देसाईः भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, पृ0 269
2. नीलम पालीवालः ग्रामीण पुनर्निर्माण और साहित्य, पृ0 44
3. ए0आर0 देसाईः भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, पृ0 224
4. वही, पृ0 228
5. Dube SC. India's Changing Village's Routledge and kegan Poul Ltd, London, 1968, 8.
6. डॉ0 सच्चिदानन्दः भारत की सामुदायिक विकास योजनाएँ राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1967ए पृ0 10
7. The gaon panchayat is the executive committee of the gaon abha. G.R. Madan & Tara Madan: Village Development in India, Allied Publishers Pvt. Ltd. New Delhi, 239.
8. The Village Panchyat is the smallest Unit of local self Government in the rural areas. Upon its co-operation depends the successful implemention of the development programme in the village? – India, 236.
9. भारतीय 2006, पृ0 210
10. वही पृ0 633
11. वही पृ0 82
12. वही पृ0 83